The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 1 | January 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

मध्य प्रदेश में विवाह स्थल सम्बन्धी विधियों का विश्लेषण

श्री आशुतोष राय

सहायक प्राध्यापक, शा.विधि महाविद्यालय,दतिया (म.प्र.)

ashutoshrai145@gmail.com

प्रो.(डॉ.) जीतेन्द्र मिश्रा

वरिष्ठ आचार्य, विधि विभाग, डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर (उ.प्र.)

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:

विधि, उपविधि, अनुज्ञप्ति, शास्ति, अभियोजन इत्यादि |

ABSTRACT

विवाह स्थल वर्तमान समय में हर छोटे बड़े शहरों में मौजूद हैं यहाँ तक कि यह छोटे - छोटे कस्बों व् नगर पंचायतों में भी मौजूद हैं | 1950 से 1990 तक विवाह स्थल का प्रचलन हमारे समाज में बहुत ही नगण्य रहा यदि बड़े शहर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर इत्यादि में विवाह स्थल रहे भी लोगों द्वारा इसका सदुपयोग बहुत कम होता रहा | वर्तमान समय में यह एक रोजगार का अवसर प्रदान करने के साथ साथ विवाहिक परिवार नजरिये से भी काफी महत्ता रखता हैं इसलिए इस आलेख के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में इसके लिए विहित प्रावधानों, उपविधियों का विश्लेषण करेंगे तथा साथ ही साथ इस दिशा में न्यायालय द्वारा निर्णित मार्गदर्शक निर्णयों का भी विशेल्षण करेंगे | जिससे इस आलेख के माध्यम से पाठको को इस सम्बन्ध में विहित विधियों का ज्ञान हो सके और इसका संचालन समाज में अच्छे ढंग से हो सके |

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.14849414

परिचय :-वर्ष 1950-1990 के दशक में विवाह स्थल जैसी कोई व्यवस्था हमारे समाज में ना के बराबर थी लोग शादियाँ अपने घर,गावं शहर के रिक्त स्थानों से करते थे धीरे धीरे जनसख्याँ बढ़ने और खाली स्थानों का अन्यत्र उद्देश्यों से उपयोग होने लगा शहर में जो खाली स्थान थे और जिनका उपयोग बहुतायत शादी के लिए होता रहा उस जमीन के स्वामी ने उसका उपयोग विवाह स्थल के रूप में करने लगे जिससे उसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने लगा | धीरे धीरे यह व्यवस्था इतनी तेजी से फैली कि वर्तमान में छोटे बड़े शहर, कस्बें, नगर पंचायत में इसका प्रचलन बहुतायत शुरू हो गया हैं और वर्तमान समय में तो यह स्वयं के लाभ के साथ साथ अन्य को लाभ देने वाला एक स्रोत बन गया हैं | इसे करने वाला अच्छी आय प्राप्त करता हैं लोगों द्वारा वर्तमान में घर से शादियों का किया जाना पूर्णतया बंद हो गया हैं | अमीर, गरीब सभी वर्ग के व्यक्ति अपने आर्थिक आय के आधार पर अब इसके माध्यम से ही विवाह सम्पन्न कर रहा हैं |

इसलिए वर्तमान में विवाह स्थल को विनियमित करने वाली विधियों, उप विधियों का मध्य प्रदेश में विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो जाता हैं |

शोध विधि :- इस शोध में प्राथमिक श्रोत के माध्यम से उपलब्ध सामग्री का विश्लेषण किया गया हैं |

परिणाम:- इस शोध पत्र में राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश व् माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को भी शामिल किया गया हैं | साथ ही साथ स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए विभिन्न नियमों को इस शोध पत्र का आधार बनाकर विश्लेषण किया गया हैं |

विवाह स्थल सम्बन्धी विधि व् उपविधि:- मध्य प्रदेश में विवाह स्थल से सम्बन्धित वर्ष 2013 तक कोई विशेष विधि या उपविधि मौजूद नहीं थी |मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1956 की विभिन्न धाराओं में नगर पालिका को इससे सम्बन्धित उपविधि बनाने को अधिकृत किया गया हैं | इसके अलावा उक्त अधिनियम में इससे सम्बन्धित कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 249,(1)f सपठित धारा 366,धारा 247(6),(27),(36) में प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम उज्जैन ने एक उपविधि बनाई जिसे नगर निगम उज्जैन का (विवाह स्थल का पंजीयन)2013 के नाम से जाना गया हैं चूकिं यह नगर

निगम उज्जैन द्वारा बनाया गया उपविधि थी इसलिए इसकी अपनी एक निश्चित सीमा थी पर यह उपविधि कुछ हद तक उपयुक्त रही |

इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा **धीरेन्द्र जैन एवं अन्य बनाम राज्य शासन एवं अन्य 14/11/2013** में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि जब तक राज्य शासन द्वारा समुचित उपविधि इस विषय पर निर्मित नहीं की जाती तब तक उज्जैन नगर निगम की उक्त उपविधि के अनुसार ही पुरे मध्य प्रदेश में कार्यवाही की जाए | इस प्रकार उक्त उपविधि का परिपालन पुरे मध्य प्रदेश में करना प्रारंभ हुआ | इसी मामले में माननीय न्यायालय ने कहा यथाशीघ्र समुचित कानून बनाया जाना चाहिए जिसे पुरे राज्य में सरकार द्वारा प्रवर्तित किया जा सके | माननीय न्यायालय के उपरोक्त इतिरोक्ति के बाद भी राज्य शासन द्वारा इस दिशा में कोई प्रत्यक्ष कार्य ना किये जाने के बाद काफी समय लग गया |

मध्य प्रदेश नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि 2020:- वर्ष 2013 के पश्चात वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त आदर्श उपविधि का निर्मित किया गया जिसे राज्य शासन ने 6 जनवरी 2021 को पुरे मध्य प्रदेश के नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् और नगर परिषद् में लागू कर दिया गया | उक्त उपविधि का निर्माण मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1956 की धारा 432-A एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 359 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग के नियंत्रण के संबंध में यह आदर्श उपविधि निर्मित की गयी |

मध्य प्रदेश नगरपालिका (विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग) आदर्श उपविधि 2020 का विश्लेषण:- इस उपविधि में कुल 19 धारायें हैं इसके अतिरिक्त प्रारूप क जो विवाह स्थल का पंजीयन एवं उपभोग के लिए पंजीयन करने का आवेदन हैं, इसके बाद प्रारूप ख जो उक्त आवेदन की पावती हैं | इसके बाद प्रारूप 3 में अनुज्ञप्ति का प्रारूप हैं | इसके पश्चात उन समस्त महत्वपूर्ण धाराओं का विश्लेषण किया जायेगा जो समाज के लोगों को लाभदायक होगा |

आवेदक:- उक्त उपविधि की धारा 2(ग) के अनुसार आवेदक कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा कंपनी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि हैं, जो विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग के अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हैं |

अर्थात जो भी व्यक्ति, कम्पनी, संस्था किसी विवाह स्थल को वैवाहिक कार्य के लिए संचालित कराना चाहता हैं वह इस उपविधि के तहत निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी को निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन करेगा |

सक्षम अधिकारी:- उक्त उपविधि की धारा 2(च) के अनुसार वह अधिकारी सक्षम अधिकारी कहलायेगा यदि वह क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता हैं तो नगरपालिका आयुक्त और यदि वह क्षेत्र नगर पालिका परिषद् या नगर परिषद् में आता हैं तो उसका नगर पालिका अधिकारी या यंके द्वारा अधिकृत अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा |

इस उपविधि में सबसे अच्छी बात यह कि इसकी **धारा 2 (ज) विवाह स्थल** शब्द को परिभाषित करती हैं इसके अनुसार "नगरपालिका की सीमा में 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले समस्त स्थान जैसे होटल, भूखंड, फार्म, सामुदायिक केंद्र, भवन, क्लब, बैंक्वेट हाल, धर्मशाला, इत्यादि जो कि विवाह, सगाई, बारातघर, जन्मदिवस, एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोहों जैसे उत्सव, प्रदर्शनी, कन्वेंशन, गरबा, उत्सव नववर्ष, आयोजन इत्यादि के लिए उपयोग किये जाते हैं" यह सब विवाह स्थल कहलाते हैं |

इस परिभाषा में यह देखा जा सकता हैं कौन सा स्थान यदि इन इन उदेश्यों के लिए प्रयोग किया जाता हैं तो उसे इस उपविधि के तहत विवाह स्थल के रूप में प्रयोग किया जायेगा |

इस उपविधि की धारा 10 में ऐसे सभी विवाह स्थल का जिसका इस उपविधि के तहत पंजीयन नहीं होता हैं उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का प्रावधान किया गया हैं साथ साथ ही धारा 11 में सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक समारोहों को करने का प्रतिषेध किया गया हैं | उक्त में से किसी प्रावधान का पालन न करने पर सक्षम अधिकारी उसके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही उस अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा |

धारा 3 पंजीयन एवं उपभोग की अनुज्ञा की शर्ते एवं आवेदन:- जो भी आवेदक विवाह स्थल के उपभोग के लिए पंजीयन कराना चाहता हैं उसे उस स्थल को नगरपालिका/नगरपरिषद के अधिकारिता में स्थित होने के अलावा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा अर्थात उसे निम्न जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा |

1. उस भवन या भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज |
2. भवन अनुज्ञा एवं उसकी अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति और अस्थाई सरंचना की दशा में वास्तुविद से अनुमोदित ले आउट |
3. अग्निशमन यंत्र की युक्तियुक्त व्यवस्था सम्बन्धित विभाग की एनऔर इस हेतु प्रशिक्षित .सी.ओ. | कर्मचारी की संख्या एवं उसके ब्योरे
4. व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए आवेदित स्थल की क्षमता |
5. प्रवेश और निर्गम के लिए दो पृथक रास्ते |
6. विवाह स्थल के पहुँच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम मीट 12र होगी सार्वजनिक सामुदायिक केंद्र के लिए | | मीटर होगी 9 यह
7. कचरा एवं ठोस अपशिष्ट के नियमित संग्रहण की व्यवस्था के संबंध में जानकारी |
8. वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली के संबंध में जानकारी |
9. हलवाईअग्निशमन व्यवस्था के स्थान के सम्बन्ध में की जानकारी जहाँ भ/कैटरिंग/ोजन तैयार किया जायेगा |
10. विकसित वृक्ष| लैंडस्केपिंग इत्यादि का विवरण ,पार्क ,
11. विधुत कनेक्शन के मंजूर भार सहित जनरेटर रूम की व्यवस्था का विवरण |
12. आतिशबाजी आदि के लिए निर्वारित क्षेत्र का विवरण देना होगा |
13. पार्किंग व्यवस्था की जानकारी जो कुल क्षेत्रफल का कम से कम | प्रतिशत होगा 25
14. आवेदित स्थल का सम्पति करजल कर एवं नगरपालिका के अन्य बकाया नहीं होने का , | प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा

15. यदि आवेदनकर्ता स्वयं भूस्वामी नहीं हैं बल्कि किरायेदार हैं तो उसे किरायेनामे की नोटरी की हुई कॉपी संलग्न करना होगा |

16. इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न आशय का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि -

क) विवाह स्थल की साफ सफाई एवं इससे उत्पन्न कचरे का संग्रहण एवं निस्तारण स्वयं के खर्चे पर होगा |

ख) यदि शासन या नगरपालिका द्वारा उक्त प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती हैं तो वह आवेदक को लागू होगी |

ग) यदि विवाह स्थल ऐसे स्थान पर हैं जहाँ अस्पताल या शैक्षणिक संस्था हैं तो उसके द्वारा उस समय जब स्वास्थ या शैक्षणिक कार्य चल रहे हो तो उसमे बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी |

घ) रात्रि के बजे तक विवाह स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नही 8 बजे से सुबह के 10ं किया जायेगा इसके लिए एक सूचना पटल होगी जिस पर जिला प्रशासन द्वारा जारी समय समय | | पर निर्देशों का पालन किया जायेगा

विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग की अनुज्ञप्ति के लिए शुल्क:- जब धारा 3 के तहत विवाह स्थल के पंजीयन के लिए आवेदन किया जाता हैं तो आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन व् अन्य दस्तावेजों के साथ इस धारा में विहित शुल्क को जमा करना होगा | यह शुल्क नगरपालिका, नगरपरिषद के लिए स्थल के क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग है जैसे 4000 रूपये न्यूनतम और अधिकतम 12500 रुपये | नगरपालिका प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 10% की वार्षिक वृद्धि करेगी| नगरपालिका द्वारा विवाह स्थल के पंजीयन के लिए विहित शुल्क वर्ष में एक बार के लिए लिया जायेगा जबकि उपभोक्ता शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लिया जायेगा |

सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण हो जाने पर सक्षम अधिकारी आवेदक को पावती देगा उसके पश्चात यदि आवेदन व् संलग्न दस्तावेज उचित पाए जाते हैं तो निर्धारित शुल्क जमा किये जाने पर 30 दिवस के अंदर प्रारूप

ग में सम्बन्धित को अनुज्ञप्ति जारी करेगा | सक्षम अधिकारी द्वारा जो उक्त अनुज्ञप्ति जारी की जाती हैं वह निम्न शर्तों के अधीन होगी जो इस प्रकार हैं -

01. विवाह स्थल के चारों तरफ सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जाएँगे|
02. उक्त स्थल की मूलभूत जानकारी जैसे नगरपालिका द्वारा जारी पंजीयन संख्याजमा राशि की रशीद , | संख्या शर्ते व् निबंधन परिसर के बाहर विहित स्थान पर लगाया जायेगा
03. राज्य सरकारजिला प्/रशासननगरपालिका द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन / | करना आवश्यक होगा
04. विवाह स्थल से कचरा उठाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी का होगा यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता हैं तो उसके विरुद्ध इस उपविधि की विभिन्न नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी और उस पर शास्ति आरोपित किया जायेगा |
05. विवाह स्थल पर विहित अग्निशमन प्रणाली लगाया जाना आवश्यक हैं यदि इसका उल्लघंन होता हैं तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसके अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा |
06. विवाह स्थल का 25% क्षेत्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर सुविधाजनक एवं सुरक्षित पार्किंग के लिए पृथक से व्यवस्था किया जायेगा |(वर्तमान में 35% कर दिया गया हैं(
07. महिला व् पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय व् मूत्रालय की व्यवस्था निर्धारित मापदंड अनुसार - | किया जायेगा
08. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विवाह व् अन्य आयोजन के लिए स्वयं के व्यय पर कम से कम 8 व् अधिकतम 2 ये | में निर्धारित विभिन्न श्रेणी के लिए अलग अलग होंगे 4 गार्ड की व्यवस्था करनी होगी जो धारा नगरपालिका अपनी | लोग स्थल की सुरक्षा व् यातयात को निर्बाध बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे स्थानीय दशा के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि भी कर सकती हैं |
09. विवाह स्थल में जनरेटर की व्यवस्था इस प्रकार होगीं कि जिससे आम जनता को कोई असुविधा ना हो साथ ही साथ पर्यावरण प्रदुषण ना हों|
10. विवाह स्थल में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार लिफ्ट व् रैम्प की व्यवस्था करना आवश्यक हैं|

11. विवाह स्थल महाविद्यालयमीटर से अधिक दुरी होना 100 और चिकित्सा की बाउंड्री से ,विद्यालय , | आवश्यक हैं

जब भी इस उपविधि के तहत किसी आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी की जाती हैं तो उपर्युक्त शर्तों के साथ ही अनुज्ञप्ति सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाता हैं उक्त शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति का देना न केवल | समाज के दृष्टीकोण से सही हैं बल्कि यह लोकहित में ही हैं कि इनका पालन किया जाना चाहिए | वर्ष तक प्रवृत रहती हैं इसके पश्चात इसका 3 उक्त अनुज्ञप्ति इसके जारी होने के दिनांक से नवीनीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक रहता हैं

उपविधि की कठोरता:- यह उपविधि विवाह स्थल के संचालन के लिए कितनी कठोर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि धारा 8 में कहा गया हैं कि किसी भी धारा का उल्लंघन किया जाता हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित की जा सकती हैं और अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी | उक्त वसूल की गई शास्ति को कोषालय में जमा किया जायेगा |

न्यायिक दृष्टीकोण:- किसी भी समाज को विकास की गति तभी मिलती हैं जब उसके अंग मिल जुल कर काम करे यदि इसे विधिक दृष्टी से देखे तो यह कहा जा सकता हैं यदि विधायिका ने एक उपयुक्त उपविधि का निर्माण कर लिया हैं तो उसका समुचित क्रियान्वयन कराया जाना कार्यपालिका का परमकर्तव्य हैं यदि किसी कारण से किसी विवाद की स्थिति बने और न्यायालय का सहारा लेना पड़े तो न्यायालय की भी जिम्मेदारी बनती हैं कि वह ऐसा निर्णय दे जो इनके पूरक हो उन्हें हतोत्साहित करने वाला ना हों | कुछ ऐसा ही निर्णय **माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रेवाराम कुशवाहा बनाम मध्य प्रदेश (2019)** के मामले में दिया महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया कि जो भी कर्मचारी लगे हैं उनका पुलिस सत्यापन किया जाना चाहिए साथ ही साथ घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग न किया जाए, हथियार पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा जगह जगह पर कैमरे लगाये जाए | कार्यक्रम आरम्भ होने के तीन दिन पूर्व ही अनुविभागीय मजिस्ट्रेट एवं उपपुलिस अधीक्षक यातयात को इनकी सूचना देनी होगीं |

निष्कर्ष:- इस शोध पत्र के माध्यम से हम हमारे जीवन में लगातार इससे रूबरू हो रहे हैं और इसका स्वयं और परिवार के साथ उपभोग भी कर रहे हैं और विवाह स्थल की तमाम् खामियां जो हमें जाननी चाहिए नही जानते वह चाहे एक उभोक्ता के रूप में हो या किसी समारोह कार्यक्रम में सहभागी होकर रहे | इसके माध्यम से विधायिका द्वारा इस हेतु बनाई गई विधि उपविधि नियम व् न्यायालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को सहज सरल भाषा में लोगो तक पहुँचाने का उदेश्य रखा गया हैं | इस आलेख का उद्देश्य ना केवल लोगों को उनके अधिकार या हितों की जानकारी देना हैं बल्कि विवाह स्थल के स्वामी या संचालक के हितो की रक्षा करने का भी उद्देश्य रखा गया हैं |

Acknowledgement:- इस आलेख में उल्लेखित सभी सामग्री मूल एवं मेरे स्वयं के विचार हैं इसका प्रयोग मेरे द्वारा पूर्व में नहीं किया गया हैं और ना ही इसका प्रकाशन मेरे द्वारा अन्यत्र किया गया हैं | मेरे द्वारा जो भी सामग्री का प्रयोग किया गया हैं वह उस रूप में कहीं और उल्लेखित नहीं हैं |

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:-

1. www.mphc.gov.in
2. www.govtpressmp.nic.in
3. www.mpurban.gov.in
4. www.mptownplan.gov.in
5. www.mppcb.mp.gov.in.
6. www.indiankanoon.org/do.....